16/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित हैं। प्रतिवादी वकील उपस्थित हैं। वादी वकील द्वारा आज भी जवाब मु.वाद पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। प्रकरण में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
	तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 12/8/2025 को भिजवाई गई। प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 17/9/25 नियत होने तहसीलदार की रिपोर्ट को आर्डर शीट पर ली गई रिपोर्ट में अवलोकन अनुसार वादीया की मौत होने की जानकारी न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता को दी गई एवं एवं वारिसान मृतक का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा समय चाहा गया। पूर्व में पर्याप्त समय व अवसर दिया जा चुका है। वादी अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक तक वारिसान मृतक का प्रा. पत्र पेश नहीं किया गया। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-3 एवं परिसीमा काल की अनुसूची क्रमांक 120 में वर्णित 90 दिवस का समय दिनांक 15/12/2025 को समाप्त हो चुका है। CPC 1908 के आदेश 22 नियम 3(2) के अनुसार जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है वहां वाद का उपशमन वहां तक हो जायेगा जहां तक मृतक वादी का सम्बन्ध है। चूंकि इस प्रकरण में एक मात्र वादी की मृत्यु हो चुकी है तथा परिसीमा की अवधि के भीतर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में कोई रुचि न लेते हुए मृतक वादी का वारिसान मृतक का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः इसी स्तर पर प्रकरण का स्वतः उपशमन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली जनरल रजिस्टर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर